राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर
जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
(Phone & Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांकःएफ.55( )पीए / सीई / डीएलबी / डब्ल्यूएस(सामान्य) / 2021 / 13522-718 दिनांकः 06/03/2021

अतिमहत्वपूर्ण

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद् / पालिका,
समस्त, राजस्थान

विषयः–कोरोना के विरूद्ध नये परिपेक्ष्य में जागरूकता अभियान चलाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि हाल ही महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, पंजाब एवं मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े है एवं कई जगहों पर कोरोना का नया स्ट्रेन (रूप) भी मिला है। हमारे राज्य राजस्थान में स्थिति अभी नियंत्रण में है, परंतु विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित प्रोटोकोल की पालना में लापरवाही की स्थिति में हालात बिगड़ सकते है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कोरोना एवं वेक्सीनेशन की हाल ही हुई समीक्षा बैठकों में उक्त हालातों पर चिंता व्यक्त करते हुए नये परिपेक्ष्य में निर्धारित प्रोटोकोल की पालना हेतु जागरूकता अभियान चलाये जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, निकायों के कचरा वाहनों एवं अन्य वाहनों पर जागरूकता जिंगल टोन बजाये जाने एवं सफाई कर्मचारियों के द्वारा घर–घर पम्पलेट वितरित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया, एफएम रेडियो एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा भी निर्धारित प्रोटोकोल की पालना के प्रचार–प्रसार की आवश्यकता पर जोर दिया गया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार के सहयोग से नगर के प्रमुख स्थानों पर जागरूकता हेतु होर्डिंग एवं बैनर लगाये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया।

अतः इसी क्रम में नगरीय निकायों द्वारा सफाईकर्मियों के सहयोग से पम्पलेट वितरित किये जाने हेतु निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैः–

क्र. सं.	नगरीय निकाय	न्यूनतम लक्ष्य
1.	नगर निगम	2,50,000
2.	नगर परिषद्	1,00,000
3.	नगर पालिका	50,000

कृपया उपरोक्त निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार पम्पलेट्स वितरित किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त अन्य घटकों जैसे कचरा वाहनों एवं अन्य वाहनों पर जागरूकता जिंगल टोन बजाया जाना, सोशल मीडिया, एफएम रेडियो एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा भी निर्धारित प्रोटोकोल की पालना का प्रचार–प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें साथ ही उक्त घटकों के अंतर्गत की गयी कार्यवाहियों के फोटोग्राफ्स, वीडियोज़ वाट्सएप्प ग्रुप में नियमित रूप से शेयर किया जाना भी सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्धारित प्रोटोकोल के बार–बार उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए शास्ती वसूल करें एवं की गयी कार्यवाही की सूचना निर्धारित गूगल ड्राइव में नियमित रूप से भिजवाया जाना भी सुनिश्चित करें।

इसे अत्यावश्यक समझे।

(दीपक नंदी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक:एफ.55( )पीए/सीई/डीएलबी/डब्ल्यूएस(सामान्य)/2021/13719-763 दिनांक: 06/03/2021

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
3. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/कोटा/जोधपुर/उदयपुर/भरतपुर।
5. प्रोग्रामर (आई. टी. प्रकोष्ठ), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. सुरक्षित पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक